

FORM NO. 111

फर्द अहकाम


(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री. धोपुर (सीकर)

शिवदयाल सिंह बनाम सरदारगल वगै०

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर:- 25/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
11.03.20	<p>प्रार्थी की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड० ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर की जावें। प्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जावें। पत्रावली वास्ते देने तागिल दिनांक 13.03.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">शर</p>	
13-3-20	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अस्थाई निषेधाज्ञा की वलबी पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली दिनांक 17-3-20 को पेश हो।</p>	
11.09.2020	<p>कोविड-19 सकंमण होने से पत्रावलियों में इकजाई तारीख पेशियाँ दिये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर वर्तमान में नया वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नये सिरे से न्यायालय हाजा में पेश करना चाहता है जिसके कारण उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाकर विद्वा किये जाने का लिखित में निवेदन किया है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्वा कर खारीज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">() उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)</p>	